भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1113

दिनांक 8 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

महिला प्रतिनिधित्व

1113. श्री सत्यदेव पचौरी:

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:

डॉ. संघमित्रा मौर्य:

श्री दुर्गा दास उइके:

श्रीमती केशरी देवी पटेल:

श्री मनोज कोटकः

श्री प्रताप सिम्हा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत महिला प्रतिनिधित्व के मामले में विश्व में अग्रणी के रूप में उभरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार, विमानन उद्योग और समाज द्वारा विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कौन-कौन सी विशिष्ट कार्यनीतियां अपनाई गई हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : लैंगिक न्याय भारत के संविधान में यथा निहित सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। लैंगिक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। इनमें आपराधिक कानूनों और विशेष कानूनों जैसे 'घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005', 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961', 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006'; स्त्री अशिष्ट रुपण (निषेध) अधिनियम, 1986'; 'महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013', 'अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956', 'सती निवारण आयोग अधिनियम, 1987', 'यौन अपराधों से बच्चों का

संरक्षण अधिनियम', 2012', 'किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण, केंद्रीय/ राज्य पुलिस बलों में महिलाओं के लिए आरक्षण, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और सैनिक स्कूल, कमांडो फोर्स आदि में महिलाओं को शामिल करने के प्रावधानों को सक्षम करने का अधिनियमन शामिल है।

इसके अलावा, सरकार देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जीवन-चक्र सातत्य के आधार पर उनके मुद्दे को संबोधित करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे तेज गति से चलायमान और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें।

पिछले कुछ वर्षों में देश में महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए कई पहल की गई हैं।

समग्र शिक्षा, छात्रवृत्ति योजनाएं, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, स्वच्छ विद्यालय मिशन आदि जैसी पहल यह सुनिश्चित करती हैं कि स्कूल विशेष रूप से लड़कियों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए के अनुकूल हों और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों।

उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय देश भर में छात्रों को ई-लर्निंग के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन' (एनएमईआईसीटी) योजना, स्वयं (युवा महत्वाकांक्षी प्रतिभाओं के लिए सक्रिय शिक्षण के अध्ययन वेब), स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल), वर्चुअल लैब, ई-यंत्र, एनईएटी (नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी) आदि का संचालन कर रहा है। प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के तहत, सरकार द्वारा विद्या लक्ष्मी पोर्टल (वीएलपी) लॉन्च किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र बैंकों की एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से आसानी से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकें। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को इस पोर्टल पर शामिल किया गया है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पिछले वर्षों में कई पहल की गई हैं। विज्ञानज्योति को 9वीं से 12वीं कक्षा तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए 2020 में लॉन्च किया गया था। 2017-18 में शुरू हुई ओवरसीज फेलोशिप योजना, भारतीय महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को एसटीईएम में अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान करने का

अवसर प्रदान करती है। कई महिला वैज्ञानिकों ने भारत के पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन (एमओएम), या मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण और परीक्षण भी शामिल है।

भारत सरकार ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को कवर करके ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (पीएमजीदिशा) शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों, महिलाओं और विकलांगों जैसे समाज के उपेक्षित वर्गों सहित ग्रामीण आबादी को लक्षित करके डिजिटल अंकर को पाटना है।

'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत 11.60 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, 'उज्जवला योजना' के तहत गरीबी रेखा से नीचे की 9.85 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन और 'जल जीवन मिशन' के तहत 19.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 13.75 करोड़ से अधिक को नल से पीने के पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है जिसने कठिन परिश्रम और देखभाल के बोझ को कम करके महिलाओं के जीवन को बदल दिया है।

इसके अलावा, “प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र” स्थापित किए गए हैं ताकि स्वास्थ्य देखभाल में सामर्थ्य से अधिक होने वाले खर्च को कम किया जा सके। इसका उद्देश्य सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराकर भारत के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य देखभाल बजट को कम करना है। देश भर में 10,000 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। 2017 में, पहले दो बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश के सवेतन भुगतान को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन किया गया था।

महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। श्रम संहिताओं जैसे वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020में कई सक्षम प्रावधान किए गए हैं ताकि महिला श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाया जा सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) में प्रावधान है कि इस योजना (मनरेगा) के तहत कम से कम एक तिहाई नौकरियां महिलाओं को दी जानी चाहिए।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौशल भारत मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति

बेहतर आर्थिक उत्पादकता के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से समावेशी कौशल विकास पर केंद्रित है।

सरकार ने देशभर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता, दोनों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण; महिलाओं को समायोजित करने के लिए लचीले प्रशिक्षण वितरण तंत्र जैसे मोबाइल प्रशिक्षण इकाइयों, दोपहर के बैच के फ्लेक्सिबल साथ-साथ स्थानीय आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण; और सुरक्षित और लिंग संवेदनशील प्रशिक्षण वातावरण, महिला प्रशिक्षकों का रोजगार, पारिश्रमिक में समानता और शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

भारत सशस्त्र बलों में लड़कियों के लिए बड़ी भूमिकाओं को बढ़ावा दे रहा है। सरकार ने भारतीय वायु सेना, कमांडो, केंद्रीय पुलिस बलों में लड़ाकू पायलट, सैनिक स्कूलों में प्रवेश, एनडीए में लड़कियों के प्रवेश आदि जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी की अनुमति देने के लिए भी सक्षम प्रावधान किए हैं। सरकार ने महिला विमानन पेशेवरों के निर्माण के साथ विशेषकर कम आय वाले परिवारों की युवा स्कूली छात्राओं पर विशेष ध्यान देकर नागरिक उड्डयन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। आज देश में वैश्विक औसत से 10% अधिक महिला पायलट हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला एयरलाइन पायलट सोसायटी के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 5 प्रतिशत पायलट महिलाएँ हैं। भारत में महिला पायलटों की हिस्सेदारी काफी अधिक है।

महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद देने के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा 'स्टैंड-अप इंडिया' के तहत दस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के 81% ऋण, महिलाओं को उपलब्ध कराए गए हैं।

दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों में से एक के तहत ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने स्वयं के बैंक खाते खोलने के लिए, पीएम जन धन योजना ने 28 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया है। बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सरकार ने एक बचत योजना शुरू की है जिसका नाम 'सुकन्या समृद्धि खाता' आदि है ।

उद्यमशीलता की ओर विशेष ध्यान देते हुए, भारत सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे उद्यमों को बड़ी संख्या में ऋण की सुविधा और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाएं स्टार्ट-अप इंडिया के तहत देश के उभरते समर्थित स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण ताकत बन जाएं।

भारत सरकार महिलाओं/लड़कियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम लागू करती है जिसमें सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत, लगभग 9.93 करोड़ महिलाएं लगभग 90 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, जो कई नवीन और सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार तरीकों से ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रही हैं, साथ ही अब तक लगभग 7.67 लाख करोड़ के बैंक लिंकेज सहित सरकारी सहायता का भी लाभ उठा रही हैं।

कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-नाम, महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं खाद्यान्न प्रसंस्करण, वृक्षारोपण फसलों, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन, कताई मिलों, हथकरघा और पावरलूम बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं, आदि से संबंधित गतिविधियों में रत सहकारी समितियों में शामिल हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत लगभग 3.25 करोड़ घरों में से अधिकांश या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त नाम पर हैं। इन सबसे वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं एक सार्वभौमिक योजना है जिसके तहत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) सहित सेवाओं के लिए पात्र हैं। मजदूरी के आंशिक मुआवजे के लिए और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) लागू की है, जिसका उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड में नकद प्रोत्साहन प्रदान करके उचित प्रैक्टिस , देखभाल और संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से लगभग 3.21 करोड़ महिलाओं तक लाभ पहुंचाया गया है।

संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। हालाँकि, पीआरआई में 14.50 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। सरकार ईडब्ल्यूआर को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' को व्यापक योजना के रूप में लागू करता है।

'मिशन शक्ति' की दो उप-योजनाएँ हैं, अर्थात् महिलाओं की सुरक्षा के लिए "संबल" और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए "सामर्थ्य"। 'सामर्थ्य' उप-योजना के तहत, एक नया घटक यानी हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन (एचईडब्ल्यू) के उद्देश्य से शामिल किया गया है ताकि इस केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान कर के ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें एचईडब्ल्यू के तहत महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, देश भर में जिलों/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच सहित उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध संस्थाओं को मार्गदर्शन, जोड़ने तथा परस्पर काम करने में सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, हितधारकों की आवश्यकताओं और फीडबैक के आधार पर, सरकार नीतियों/ कार्यक्रमों/योजनाओं को तैयार करने के साथ-साथ जहां भी आवश्यक हो, संशोधन करने के लिए उचित उपाय करती है।

*****